फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी रेड़या व मुकाम रोड़या

भवरा ....बनाम.......... राज्य वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व अपील मुकदमा नम्बर 80/2023

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/03/23	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री डी.पी. .... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/4/23 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
20/04/23	पत्रावली पेश हुई। ~~वकील~~ मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल मे होने के कारण पत्रावली आइंदा दिनांक 25/04/23 को पेश हो।	
25/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उप नही हुआ अत उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अत: तत्सम्बंधी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ओरणा के क्रम हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 80/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भंवरा बनाम कारम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री दोषमोहमद

दिनांक – 25/04/2023

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भूणिया भू.अ.नि. क्षेत्र भूणिया के मौजा सुथारों की बेरी के खेत खसरा संख्या 556/433 रकबा 2.5900 हैक्टर व खसरा संख्या 559/386 रकबा 1.9263 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भूणिया भू.अ.नि. क्षेत्र भूणिया के मौजा सुथारों की बेरी के खेत खसरा संख्या 556/433 रकबा 2.5900 हैक्टर व खसरा संख्या 559/386 रकबा 1.9263 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. भंवरा पुत्र मदा जाति सुथार, निवासी सुथारों की बेरी भुणिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर	बनाम	1. कासम पुत्र मुहिब 2. हासम पुत्र मुहिब 3. मीठा पत्नि मुहिब जाति–मुसलमान, निवासी सुथारों की बेरी भूणिया, तह. धनाऊ 4. नगा पुत्र केहरा जाति सुथार, निवासी सुथारों की बेरी भूणिया 5. अचलाराम पुत्र आदूराम जाति जाट, निवासी सुथारों की बेरी 6. अखा पुत्र लिखमा 7. अमरा पुत्र पूनमा 8. अमराभाई पुत्र राणा 9. अमूराम पुत्र मगा 10. कमला पुत्री गगाराम 11.खरथा पुत्र लिखमा 12. गजाराम पुत्र दुर्गा 13. गीतादेवी पुत्री राणा 14. चिमना पुत्र ईसरा 15. जगना पत्नि लिखमा 16. दीपाराम पुत्र मगाराम 17. धापूदेवी पत्नि राणा 18. धोलाराम पुत्र राणा 19. नैनाराम पुत्र गंगाराम 20. नवलाराम पुत्र मगाराम 21. पंखीदेवी पत्नि राणा 22. पदमा पुत्र लिखमा 23. पुरखा पुत्र दुर्गा 24. पूरी पुत्री गंगाराम 25. पालू पुत्री गंगाराम 26. बुली पुत्री मंगा 27. बाबुभाई पुत्र राणा 28.बालाराम पुत्र दोला 29. भीया पुत्र पूनमा 30. मनीदेवी पत्नि राणा 31.मेहरी पुत्र दोला 32. मागीलाल पुत्र दुर्गा 33. मोडा पुत्र पूनमा 34.रूगनाथ पु. ईसरा 35. रतना पुत्र पूनमा 36. रम्भादेवी पत्नि गंगाराम 37.राणी पत्नि दोला 38. रामचन्द्र पुत्र दोला 39. लाछी पत्नि पूनमा 40.वरिंगाराम पु.गंगाराम 41. वागाराम पुत्र मगाराम 42. संतोष पुत्र दोला 43.समीदेवी पुत्री राणा 44. हनुमान पुत्र दोला 45. हरीराम पुत्र पूनमा जाति–मेघवाल, निवासी–सुथारों की बेरी भूणिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर 46. तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक : 25/04/2023

राजस्व आवेदन संख्या 80/2023

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार क्षेत्र भूणिया भू. अ.नि. क्षेत्र भूणिया के मौजा सुथारों की बेरी के खेत खसरा संख्या 556/433 रकबा 2.5900 हैक्टर व खसरा संख्या 559/386 रकबा 1.9263 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
O/C सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/ 759–762 दिनांक 25/04/2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार धनाऊ।
2. प्रार्थी भंवरा पुत्र मदा।
3. विप्रार्थीगण कासम पुत्र मुहिब वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
O/C सेड़वा